

**भारतीय मानक ब्यूरो**

(वित्त विभाग)

**विषय: वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य भविष्य निधि का अंशदान**

सामान्य भविष्य निधि नियमों के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि के अंशदान की राशि को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान एक एक बार रकम किया जा सकता है और दो बार बढ़ाया जा सकता है। भविष्य निधि के केवल वे सदस्य, जो मार्च 2020 के महीने से अंशदान की दरों में किसी भी परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, वे निम्नलिखित प्रारूप में (वित्त) विभाग को इसकी सूचना 18 मार्च 2020 तक भेज सकते हैं।

As per General Provident Fund Rules; amount of subscription can be reduced once and enhanced twice during the course of a particular year. Only those members of the provident fund, who desire any change in the rates of subscription from the month of March 2020, may please send the same to Finance Department by 18 March 2020 in the following format:

क्रमांक Sl. No.	कर्मचारी संख्या Employee No.	नाम और पदनाम Name & Designation	अंशदान की राशि Amount of Subscription *	हस्ताक्षर Signature

\* वेतन से की जा रही सभी वैधानिक कटौती जैसे आयकर आदि को ध्यान में रखते हुए अंशदान की राशि भरी जा सकती है। यदि उल्लिखित अंशदान राशि वैधानिक कटौती के दायरे से अधिक है, तो अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

\* The amount of subscription may be filled after taking into account all the statutory deductions like Income Tax etc., being made from the salary of the individuals. In case the subscription mentioned exceeds net of statutory deductions, the request will not be considered.

निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, अंशदान राशि उसी दर पर काटी जाएगी जिस पर फरवरी 2020 के वेतन से कटौती की गई है।

In case the requisite information is not received by the stipulated date, subscription will be deducted at the same rate at which it is deducted from the salary of February 2020.

हस्ता  
(गुरप्रीतसिंह)  
निदेशकवित्त

हमारा सन्दर्भ:वित्त/जी पी एफ/11:4

दिनांक: 03 मार्च 2020

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / प्रशिक्षणसंस्थान/ केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एंवम कर्मचारी

प्रतिलिपि -जानकारी के लिए

- ❖ निजी सचिव (महानिदेशक) - महानिदेशक की जानकारी के लिए
- ❖ अपर महानिदेशक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी उप महानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर रखने के लिए